

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

(पता: राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड, अजमेर)

E-mail: AC.AJMER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN

0145-2970444

क्रमांक :- बजट घो./लेखा/2024-25/2868

दिनांक : 21/10/24

-: निविदा सूचना :-

इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के कुल 7 मंदिरों में दीपावली पर (पंच दिवसीय दीपोत्सव पर्व) के लिए लाईट डेकोरेशन करवाया जाना है। उक्त कार्य के लिए इच्छुक निविदादाता/बोलीदाता/फर्म दिनांक 25.10.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित निविदा शुल्क जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं तथा उसी दिन दिनांक 25.10.2024 को दोपहर 3.00 बजे तक निविदा प्रपत्र बंद लिफाफे में निविदाएं कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं, प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जाएंगी।

क्र.स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि	निविदा शुल्क	धरोहर राशि
1	2	3	4	5
1	राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी के कुल 7 मंदिरों में दीपावली पर पाँच दिवसीय दीपोत्सव पर्व के लिए लाईट डेकोरेशन कार्य	3,70,000 /-	300 /-	7,400 /-

आत्मनिर्भर व प्रत्यक्ष प्रभार मन्दिरों का नाम व पता तथा लाईट डेकोरेशन हेतु नियत राशि का विवरण निम्नानुसार अंकित है :-

क्र.स.	मन्दिर का नाम व पता	विशेष साज सज्जा (मंदिर का लाईट डेकोरेशन)/ साफ सफाई
1.	रा.आ.नि. मंदिर श्री मंदिर श्री मंशापूर्ण जी जहाजपुर	50,000 /-
2.	रा.आ.नि. मंदिर श्री बृजनन्दन जी, जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा	75,000 /-
3.	रा.आ.नि. मंदिर श्री शान्तेश्वर जी उर्फ सोमेश्वर जी जहाजपुर (तालाब डूब क्षेत्र) जिला-भीलवाड़ा	20,000 /-
4.	रा.आ.नि. मंदिर श्री राज राजेश्वर जी, जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा	50,000 /-
5.	रा.आ.नि. मंदिर श्री बलदाउ जी, ग्राम-शक्करगढ़ जिला भीलवाड़ा	50,000 /-
6.	रा.आ.नि. मंदिर श्री चारभुजा जी, ग्राम शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा	75,000 /-
7.	रा.आ.नि. मंदिर श्री भूतेश्वर जी, ग्राम व तह-टोडारायसिंह, केकड़ी	50,000 /-
योग		3,70,000 /-

अनुमानित व्यय राशि में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। निविदा के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण devasthan.rajasthan.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है

RajKaj Ref
11297248



(गिरीश कुमार बचानी)

सिंहनामा valid

देवस्थान विभाग, अजमेर

Digitally signed by girish kumar bachani

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2024.10.21 17:12:43 IST

E:\Devasthan 2015-16\Devasthan\Surendra Sir Accounts\Agriculture Land 2024\Reason Approved

2869-13

क्रमांक :- बजट घौ./लेखा/2024-25/2869-13

दिनांक : 21/10/24

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर को सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. संयुक्त निदेशक, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलक्टर, शाहपुरा को सूचना पट्ट पर चर्या करने हेतु।
4. श्रीमान उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग-शाहपुरा को सूचना पट्ट पर चर्या कराने हेतु।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्या करने हेतु।

(गिरीश कुमार बचानी)

सहायक आयुक्त,

देवस्थान विभाग, अजमेर

RajKaj Ref
11297248

Signature valid

Digitally signed by gk kumar
bachani

Designation : Assistant Commissioner

Date: 2024.10.21 12:43 IST

E:\Devasthan 2015-16\Devasthan\Sarodha Sir Accounts\Agriculture Land 2024\Lesson Approved

-: निविदा प्रपत्र :-

क्र.स.	सामग्री / आइटम	आवश्यक मात्रा (अनुमानित)	दर प्रति ईकाई / प्रति नग नियमित पांच दिवस (अवधि दिनांक 30. 10.2024 से 03.11. 2024 तक) राशि रुपये अंको में सभी कर व भार सहित
1	राईस एल.ई.डी. लाईट	प्रति नग, 15 मीटर	
2	सेट्रो लाईट, एल.ई.डी.	प्रति नग, 50 वॉट	
3	मेट्रो लाईट एल.ई.डी.	प्रति नग, 100 वॉट	
4	फोकस कलर लाईट एल.ई.डी.	प्रति नग, 36 वॉट	
5	निवार पट्टी	प्रति नग, 40 फीट	
6	बडे चक्करे	प्रति नग	
7	छोटे चक्करे	प्रति नग	
8	रोप लाईट	प्रति नग	
9	स्ट्रीप लाईट	प्रति नग 100 फीट	
10	वयरिंग	प्रति मीटर	
11	वेब लाईट	प्रति नग	
12	पेल लाईट	प्रति नग, 15 फीट	
13	रनिंग निवार बल्ब पट्टे	प्रति नग 50 बल्ब	
14	रनिंग निवार बल्ब पट्टे	प्रति नग, 100 बल्ब	
15	कलर लाईट एल.ई. डी.	प्रति नग, 12 वॉट	
16	केडिलर लाईट	प्रति नग	

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर निविदा दाता मय सील

RajKaj Ref
11297248

Signature valid

Digitally signed by gish kumar
(विशेष कमर / चान)
Designation Assistant Commissioner
Date: 2024.10.24 12:43 IST

निविदा की शर्तें

1. बोलीदाता को निर्धारित शुल्कों के बैंकर्स चैक/डी.डी. जो कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के नाम से अजमेर में देय हो, निश्चित तिथि व समय तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर में जमा करवाने होंगे। इनके समय पर प्राप्त नहीं होने पर इनके अभाव में उनकी बिड नहीं खोली जावेगी।
2. सशर्त बोलियां स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा/संविदा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
4. निविदादाताओं को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कर कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
5. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड, की प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
6. बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों को श्रम विभाग के नियमानुसार निर्धारित पारिश्रमिक दिये जाने का दायित्व स्वयं बोलीदाता का ही होगा।
7. संविदा अवधि में सफल बोलीदाता एवं विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
8. बोली खुलने के पश्चात बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गई दरों को वापस लेता है या कार्यदेश पश्चात कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
9. बोलीदाता की फर्म का पूर्ण पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर/ई-मेल बोली प्रपत्र में यथा स्थान अंकित करना होगा। कार्यावधि में टेलीफोन/मोबाईल/पते आदि में परिवर्तन की स्थिति में तुरन्त कार्यालय को सूचित करना होगा।
10. निविदा की सभी शर्तों की पालना बोलीदाता द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त अथवा आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं नियम 2013 में वर्णित किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकती है तथा फर्म को DEBAR भी किया जा सकता है।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं है।
12. कार्यस्थल पर किसी प्रकार की मंदिर की धार्मिक भावना एवं मर्यादा अनुसार गैर कानूनी गतिविधियां व कार्य में अनियमितता पाये जाने पर विभाग द्वारा निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा अमानत राशि जब्त करते हुए बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर (फर्म की मोहर सहित) किया जाना आवश्यक है।
14. मूल दरे एवं जी.एस.टी की दरें बिल में पृथक-पृथक अंकित करनी होगी जो कि निविदा दर से अधिक नहीं होगी। यदि फर्म माल, एवं सेवा कर के दायरे में आती है तो फर्म को माल एवं सेवाकर स्वयं के स्तर से सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना होगा, तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा दी गई दरे सभी कर सहित होगी।
16. कार्य में हुए सजावट सामान के नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी एवं नुकसानपूर्ति निविदादाता का होगा।

RajKaj Ref
11297248

Signature valid

Digitally signed by girish kumar
bachani
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.21 12:43 IST

17. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश जारी होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य में निरन्तर गतिशीलता बनाये रखना आवश्यक होगा तथा कार्य निर्धारित समय अथवा उससे पूर्व सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
18. कार्यस्थल पर किसी प्रकार की टूटफूट होने अथवा दुर्घटना होने पर विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी सफल बोलीदाता फर्म की होगी। सभी न्यायिक/श्रम नियम अन्य नियमों की पालना का उत्तरदायित्व भी बोलीदाता का ही होगा। विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
19. किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत की राशि से हटकर अधिक कार्य नहीं किया जावेगा तथा न ही अन्य आईटम मद में कार्य किया जावेगा। ऐसा करने पर अतिरिक्त कार्य फर्म द्वारा स्वेच्छा से किया गया कार्य माना जावेगा जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में अन्य आईटम मद में कार्य किये जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो कार्य करने से पूर्व सक्षम लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
20. लाईट डेकोरेशन हेतु मंदिरों की संख्या में तथा विद्युत आयटमों/उपकरणों में आवश्यकतानुसार कटौती की जा सकती है। इसका समस्त अधिकार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर का होगा।
21. सफल बोलीदाता को कार्यादेश जारी होते ही 500/- रुपये स्टॉप पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
22. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
23. वाँछित सक्षम स्वीकृति अनुसार मौके पर लगने वाली अनुमानित मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है।
24. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृति आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान/राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम/फर्म का नाम :-
मोबाईल न. :-
पता :-

(गिरीश कुमार बचानी)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, अजमेर

RajKaj Ref
11297248

Signature valid

Digitally signed by gish kumar
bachani
Designation : Assistant Commissioner
Date: 2024.10.24 12:43 IST